कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कार्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कार्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कार्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लाज (आई) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव रहना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्याव हारिक अनुभव जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/ 2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

2.1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त /

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking,(iii)co-operative, (iv) economics,(v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/ 29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

2.1 Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors. All directors including the whole time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides,

नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

2.2 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2022:

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं. **Sl. No.**	निदेशक का नाम एवं पदनाम **Name & Designation of the Director**	पदभार ग्रहण करने की तारीख **Date of assuming office**	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर **No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2022**	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या **No. of membership in Committees of the Bank**	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या **No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies**	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद **Directorship held in other companies**
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad Managing Director & Chief Executive Officer	01.01.2022	----	10	02 (प्रबंध समिति, आईबीए और गवर्निंग काउंसिल, आईआईबीएफ के सदस्य) (Member of Managing Committee, IBA and Governing Council, IIBF	----
2.	श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	03.04.2019	----	10	----	----
3.	श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	10.03.2021	----	10	----	----
4.	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar Govt. Nominee Director	13.05.2021	----	10	----	----
5.	श्री राजेश कुमार आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	08.03.2022	----	04	----	----
6.	श्री अंजन तालुकदार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	11	----	----
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	10	----	----
8.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	01.02.2021	100	12	----	----

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 02.04.2022 को अपना पद त्याग दिया।
Shri Ajay Vyas, Executive Director demitted his office on 02.04.2022 on completion of his term.

2.2.1 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2022:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री अतुल कुमार गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Atul Kumar Goel, Managing Director & CEO	02.11.2018	31.12.2021	10
2	श्री आनंद मधुकर, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Shri Anand Madhukar, Government Nominee Director	04.12.2018	26.12.2020	10
3	डॉ. तुली रॉय, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Dr. Tuli Roy, RBI Nominee Director	28.09.2020	08.12.2020	04

2.2.2 दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशक:

2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2022:

क्र. सं. Sl. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख Date of Cessation of Directorship w.e.f.	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेाक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO	01.01.2022	31.05.2023	10
2	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Government Nominee Director	13.05.2021	अगली अधिसूचना तक Till further notification	10
3	श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	08.03.2022	अगली अधिसूचना तक Till further notification	04
4	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024	11
5	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024	10

2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री सोमा शंकर प्रसाद
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री सोमा शंकर प्रसाद ने दिनांक 01.01.2022 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, वे भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक और समूह अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

श्री सोमा शंकर प्रसाद का जन्म दिनांक 05 मई, 1963 को हुआ। श्री प्रसाद के पास मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और 35 साल के अपने करियर में उन्होंने ट्रेजरी संचालन, खुदरा, कॉर्पोरेट केडिट, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

2.2.3 Brief Profile of the Directors

Shri Soma Sankara Prasad
Managing Director & Chief Executive Officer

Shri Soma Sankara Prasad assumed the office of Managing Director & CEO of UCO Bank on 01.01.2022. Prior to this, he was holding the position of Deputy Managing Director and Group Compliance Officer at State Bank of India.

Born on May 05, 1963, Shri Prasad holds Master of Commerce degree and in his career spanning 35 years, he has held important assignments in various capacities in Treasury operations, Retail, Corporate Credit, Insurance and International Banking.

श्री प्रसाद के दो कार्यकाल विदेश में रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2014 से अप्रैल 2019 तक कंट्री हेड के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के सिंगापुर संचालन का नेतृत्व किया। वह सितंबर, 2002 से नवंबर, 2006 तक भारतीय स्टेट बैंक की पेरिस शाखा में प्रबंधक (केडिट और संचालन) के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने एसबीआई हैदराबाद में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, एसबीआई जनरल इंयोरेंस कंपनी लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एमडी और सीईओ के रूप में भी काम किया है।

श्री प्रसाद ने भारत और विदेशों दोनों के प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक

श्री अजय व्यास का जन्म 15 अगस्त, 1962 को हुआ। वे एक अनुभवी और तकनीक-प्रेमी बैंकर हैं।

श्री अजय व्यास ने 3 अप्रैल, 2019 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री व्यास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भोपाल में फील्ड महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

श्री व्यास के पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है और उनके पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, सामान्य प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, कार्ड - डेबिट और क्रेडिट, अधिग्रहण सेवाएं और विपणन में विविध अनुभव हैं। बैंकिंग में उनका करियर तब शुरू हुआ जब वे 01.10.1993 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक (सिविल) के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 26 वर्षों की सेवा के दौरान, शाखाओं, अंचल कार्यालयों और एफजीएम कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने बैंक के कई युवा स्टॉफ सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया है।

उन्होंने बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश के संयोजक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक

श्री इशराक अली खान ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री खान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी थे।

श्री खान विज्ञान में स्नातकोत्तर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल (पीएमपी) तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद से सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। वह इंडियन इंस्टीच्यूट आफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

मुख्य महाप्रबंधक और सीटीओ के रूप में श्री खान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समामेलन आईटी एकीकरण परियोजना को संभाला और नई तकनीकों को लाने और बैंक में ग्रीन डेटासेंटर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में क्षेत्र महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शन भी किया। श्री खान, मिलनसार कार्यपालक हैं और अपने उच्च टीम निर्माण नेतृत्व गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

Shri Prasad has had two stints abroad. He headed the Singapore Operations of State Bank of India, as Country Head from November 2014- April 2019. He was Manager (Credit and Operations) at Paris Branch of State Bank of India from September 2002 - November 2006.

He has also worked as Regional Manager at SBI Hyderabad, as Chief Financial Officer at SBI General Insurance Co. Ltd. and as MD & CEO at SBI Pension Funds Pvt Ltd.

Shri Prasad has also attended several training programs in various areas at reputed institutions, both in India and abroad.

Shri Ajay Vyas, Executive Director

Born on 15th August, 1962, Shri Ajay Vyas is a seasoned and tech-savvy banker.

Shri Ajay Vyas assumed the charge as the Executive Director of UCO Bank on 3rd April, 2019. Shri Vyas was Field General Manager in Central Bank of India, Bhopal.

Shri Vyas holds a Bachelor Degree in Civil Engineering and possesses varied experience in different areas of banking such as Commercial Banking, Financial Inclusion, General Administration, Electronic payments, Cards - Debit and Credit, Acquiring Services and Marketing. His career in Banking began when he joined Central Bank of India as Manager (Civil) on 01.10.1993.

During his twenty-six years of service at Central Bank of India, he held various positions in Branches, Zonal Offices and FGM Offices. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. He has travelled widely abroad in countries like Japan, Thailand, Holland, Singapore, France and Malaysia for advance studies and professional tours.

He has also held the post of Chairman of Banks' Town Official Language Implementation Committee, Bhopal, Convenor of State Level Bankers' Committee, Madhya Pradesh and Member of different committees set up by Govt. of Madhya Pradesh.

Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director

Shri Ishraq Ali Khan assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on March 10, 2021. Shri Khan was Chief General Manager & Chief Technology Officer (CTO) in Union Bank of India. He was also first Chief Information Security Officer (CISO) in Union Bank of India.

Shri Khan holds a Master Degree in Science, Certified Project Management program professional (PMP), IT and Cyber security certification from IDRBT, Hyderabad. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

As Chief General Manager & CTO, Shri Khan handled the key amalgamation IT integration project of the Union Bank of India and instrumental in bringing new technologies and establishing green datacenter in the Bank. During his 33 years of service at Union Bank of India, he held various positions in Regional Office, Zonal Offices and FGM Offices on various capacities such as Field General Manager and Regional Head. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. Shri Khan, an easy to approach Executive is also known for his high team building leadership qualities.

श्री खान ने भारतीय बैंक संघ और इगन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम, बेंगलुरु के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने केलॉग्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो और आईएसबी, हैदराबाद से भी शिक्षा प्राप्त की है।

डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. संजय कुमार का जन्म 05 अगस्त, 1976 को हुआ। डॉ. कुमार भारतीय डाक और दूरसंचार खातों और वित्त सेवा के 2003 बैच के हैं। वे 21 सितंबर, 2017 को निदेशक के रूप में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) में शामिल हुए। डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) में काम किया। डीओटी में, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस वित्त और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से संबंधित कार्यों को निपटाया। डाक विभाग में, आंतरिक वित्त सलाहकार और निदेशक लेखा के रूप में, उन्होंने वित्त सलाह, लेखा, बजट और आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों को देखा।

डॉ. कुमार को 13 मई, 2021 को यूको बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले, वे 22 जून, 2020 से 25 मार्च, 2021 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में 05 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में रहें।

श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक

श्री राजेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को 08 मार्च, 2022 से यूको बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

श्री कुमार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन आदि सहित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों के लगभग सभी पहलुओं को सम्मलित (कवर) करने वाले विविध विभागों को संभालने का अनुभव है। उन्होंने दो वर्षों से अधिक गुजरात राज्य में बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया है। वे पाँच वर्षों तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों/सम्मेलनों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), 'जी-20' समूह की एक पहल शामिल है। वे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के प्रारूपण में निकटता से शामिल थे।

पूर्व में, उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक में निदेशक मंडल में कार्य किया है। वर्तमान में, वे आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री अंजन तालुकदार का जन्म 14 जनवरी, 1967 को हुआ। उनके पास 27 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वर्तमान में, वे प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड में निगमित मामलों के प्रमुख, कानूनी और कंपनी सचिव हैं जो गुवाहाटी, असम में स्थित है। श्री तालुकदार की शैक्षणिक योग्यता में बी.कॉम, एफसीएस, एलएलबी शामिल हैं। वे प्रतिष्ठित आईआईएम - अहमदाबाद और हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, यूके के एल्युमिना हैं। श्री तालुकदार को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

श्री रवि कुमार अग्रवाल का जन्म 06 अगस्त, 1965 को हुआ। वे पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। वे 'अग्रवाल और बर्दिया' सीए फर्म में भागीदार हैं

Shri Khan has attended prestigious leadership programme of IIM Bengaluru, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. He has also attended Kellogs School of Management, Chicago and ISB, Hyderabad.

Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director

Born on August 05, 1976, Dr Sanjay Kumar belongs to the 2003 Batch of Indian Post & Telecom accounts and Finance Service. He joined Department of Financial Services (DFS) as Director on September 21, 2017. Prior to joining DFS, he worked in Department of Telecommunication (DoT) and Department of Post (DoP). In DoT, he dealt with the works related to Spectrum Usage Charges, License Finance and Universal Service Obligation Fund in various capacities. In DoP, as Internal Finance Advisor and Director Accounts, he dealt with the works related to Finance advice, Accounts, Budgets and Internal Audit.

Dr Kumar has been nominated as Government Nominee Director on the Board of UCO Bank on May 13, 2021. Prior to this, he was on the Board of IDFC First Bank as Government Nominee Director from June 22, 2020 to March 25, 2021 and on the Board of Syndicate Bank as Government Nominee Director from April 05, 2018 to March 31, 2020.

Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director

Shri Rajesh Kumar, Chief General Manager, Reserve Bank of India (RBI) has been appointed on the Board of Directors of UCO Bank with effect from March 08, 2022.

Shri Kumar has over three decades of experience with Reserve Bank of India, handling diverse portfolios covering almost the entire gamut of major functions of RBI including, inter alia, Banking Supervision, Financial Inclusion & Development, Human Resource Management etc. He has served as Banking Ombudsman of Gujarat State for more than two years. He was on deputation with Central Bureau of Investigation for five years. He has represented RBI at several international multilateral forums / conferences including Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), an initiative of 'G-20' Group. He was closely involved in drafting of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI).

He has previously served on the Boards of Directors of a public and a private sector bank.He is presently serving as Regional Director for the state of Gujarat at RBI, Ahmedabad. Previously, he has served as Regional Director for Uttarakhand for over three years.

Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director

Born on January 14, 1967, Shri Anjan Talukdar has a working experience of over 27 years. He is currently Head Corporate Affairs, Legal and Company Secretary at Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B.Com, FCS, LLB. He is an Alumina of the prestigious IIM - Ahmedabad and Henley Management College, UK. Shri Talukdar has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director

Born on August 06, 1965, Shri Ravi Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal

जो रायपुर, छत्तीसगढ में स्थित हैं। श्री अग्रवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जोनल एडवाइजरी बोर्ड में 4 वर्षों से मानद सदस्य हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में प्रमाणित सीए होने के अलावा बी.कॉम (ऑनर्स) और एलएलबी शामिल हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फिस्कल लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। श्री अग्रवाल को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेाक के रूप में नामित किया गया है।

श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 1 फरवरी, 2021 को शेयर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

and Bardiya' and is based in Raipur, Chattisgarh. Shri Agrawal has been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B.Com (Hons.) and LLB apart from being a certified CA. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Shri Agrawal has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair is presently working with Life Insurance Corporation of India and is currently holding the post of Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 1st Feburary 2021 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. Sl No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO	बैंकिंग Banking
2.	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	बैंकिंग Banking
3.	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking and Information Technology
4.	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
5.	श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
6.	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	निगमित मामले, कानूनी पक्ष Corporate Affairs, Legal aspects
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	लेखा परीक्षा और लेखा Audit and Accounting
8.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग और मार्केटिंग Banking and Marketing

2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 12 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं :

2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 12 (Twelve) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

28.04.2021	27.05.2021	23.06.2021	27.07.2021	06.09.2021	28.09.2021	28.10.2021
29.11.2021	29.12.2021	31.01.2022	15.02.2022	22.03.2022		

3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारुऔर कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यकारी निदेशको के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं।

3.1.1 एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अर्हताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत /लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

3.1.2 वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एसीबी की बैठम में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक और श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित थे। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवयकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित 4 (चार) बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें आयोजित की गईं।

3.1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

27.05.2021	29.09.2021	28.10.2021	30.12.2021	31.01.2022
16.02.2022	23.03.2022			

3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक

3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors. All the Directors on the Committee are financial literates.

3.1.1 The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 The ACB comprises of Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair as its members.Shri Ajay Vyas, Executive Director and Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director were the invitees to the meetings of ACB. During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

3.1.3 During the period under review, 7 (seven) meetings of the ACB were held on following dates:

27.05.2021	29.09.2021	28.10.2021	30.12.2021	31.01.2022
16.02.2022	23.03.2022			

3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c)of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the

बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

i) अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव,

ii) पूंजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,

iii) कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और

iv) समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 एमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.2.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 15 (पंद्रह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

3.2.1 The objectives of the MCB are to consider and approve -

i) High value credit/loan, compromise and write-off proposals,

ii) High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises,

iii) Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and

iv) Any other matter of similar nature referred to it from time to time.

3.2.2 The MCB comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director as its members.

3.2.3 During the period under review, 15 (fifteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

20.04.2021	28.04.2021	01.06.2021	23.06.2021	19.07.2021	17.08.2021
13.09.2021	28.09.2021	26.10.2021	15.11.2021	07.12.2021	28.12.2021
09.02.2022	03.03.2022	22.03.2022			

3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

3.3.1 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.3.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

24.06.2021	13.09.2021	29.12.2021	23.03.2022

3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

3.4.1 शेयरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेा, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांा वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में ािकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए

3.3 Risk Management Committee of the Board:

3.3.1 The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The RMCB comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

3.3.3 During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

24.06.2021	13.09.2021	29.12.2021	23.03.2022

3.4. Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

3.4.1 The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

3.4.2 श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं।

3.4.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 13.09.2021 एवं 16.02.2022 को आयोजित की गईं।

3.4.4 श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

3.4.5 वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 729
- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

3.5.1 समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

3.5.2 भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

3.5.3 वर्तमान में समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकारी द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं।

3.5.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 1 (एक) बैठकें दिनांक 14.03.2022 को आयोजित की गईं।

3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

3.6.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.6.2 उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.6.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 3 (तीन) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईः

24.06.2021	29.12.2021	23.03.2022

like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

3.4.2 The Committee is chaired by Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Ajay Vyas , Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time non-official Director and Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time non-official Director.

3.4.3 During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 13.09.2021 and 16.02.2022. All the complaints received during the period under review were redressed.

3.4.4 Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3.4.5 Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 729
- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil
- No. of pending complaints at the end of the financial year - Nil

3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

3.5.1 The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

3.5.2 As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

3.5.3 The Committee, at present, comprises Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category

3.5.4 During the period under review, 1(one) meeting of the Committee was held on 14.03.2022.

3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

3.6.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving ₹1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.6.2 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.6.3 During the period under review, 3 (three) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

24.06.2021	29.12.2021	23.03.2022

3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

3.7.1 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

3.7.2 समिति का उद्देश्य:

i) जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,

ii) सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

3.7.3 उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार नामित निदेशक शामिल थे। नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के तहत को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.7.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुई:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022

3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.8.1 समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एवं श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्त निदेशक इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.8.2 समिति का उद्देश्य :

i) स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,

ii) पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,

iii) अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,

iv) बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं

v) शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

3.7.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

3.7.2 Objectives of the Committee:

i) To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;

ii) To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;

iii) To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

3.7.3 The Committee comprises Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

3.7.4 During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022

3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.8.1 TheCommittee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.8.2 Objectives of the Committee:

i) To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,

ii) To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,

iii) To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,

iv) To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and

v) To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

3.8.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईंः

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	22.03.2022

3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति

3.9.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

3.9.2 समिति में श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत को सदस्य के रूप शामिल किया गया।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पाच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022

3.10 एनपीए खातों मे वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अनर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022

3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, इस समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें 29.06.2021, 17.08.2021 एवं 30.12.2021 को आयोजित की गईं।

3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करनेवाले) जान-बूझकर चूक

3.8.3 During the period under review, 4 (four) meeting of the Committee was held on dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	22.03.2022

3.9 IT Strategy Committee of the Board:

3.9.1 The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 The Committee comprises of Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 05 (five) meetings of the committee were held on the dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022

3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPAs accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 5 (five) meetings of the committee were held on dates as follows:

24.06.2021	28.09.2021	29.12.2021	15.02.2022	22.03.2022

3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.11.3 During the period under review, 3(three) meetings of the Committee were held on the dates 29.06.2021, 17.08.2021 and 30.12.2021.

3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer, confirms the

करनेवाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करनेवाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में, समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर शेयरधारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठकें क्रमशः 15.02.2022. को आयोजित की गईं।

3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 वर्तमान में, समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठकें; दिनांक 12.03.2022 को आयोजित की गईं।

3.14 गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 17.08.2021 को आयोजित की गई।

3.15 बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 वर्तमान समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री डी के मृधा, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन, श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक- केडिट और श्री शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक-वित्त सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 52 बैठकें आयोजित की गईं।

order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.12.3 During the period under review, 01 (one) meetings of the Committee was held on 15.02.2022.

3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Government Nominee Director, ACB Chairperson, Shareholder Director.

3.13.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.13.3 During the period under review, 01 (one) meetings of the Committee was held on 12.03.2022.

3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 17.08.2021.

3.15 Board Level Credit Approval Committee

3.15.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri D K Mridha, General Manager-Risk Management, Shri Sanjay Kumar, General Manager- Credit and Shri Shashi Kant Kumar, General Manager -Finance as its members.

3.15.2 During the period under review, 52 (Fifty Two) meetings of the Committee were held.

3.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दिनांक 22.03.2022 को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी, ताकि गैर-स्वतंत्र निदशकों के प्रदर्शन और उक्त विनियम में निर्दिष्ट अन्य मामले की समीक्षा की जा सके।

सभी स्वतंत्र निदशकों अर्थात बैठक में श्री के राजीवन नायर, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री अंजन तालुकदार उपस्थित थे।

3.16 Meeting of Independent Directors

In terms of Regulation 25(3) of SEBI (LODR) Regulations 2015, meeting of Independent Directors of the Bank was held on 22.03.2022 without the presence of non-independent directors and members of the management, to review the performance of the non-independent directors and other matters referred to in the said Regulation.

All the Independent Directors viz. Shri K Rajivan Nair, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri Anjan Talukdar were present at the meeting.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

	बैठक/ Meetings of the									
निदेशक का नाम	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) Committee on HR related issues of the Bank	
Name of Director	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst.)	09	09	12	12	03	03	03	03	03	03
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sanakara Prasad MD & CEO	03	03	03	03	01	01	01	01	01	01
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	12	10	15	12	04	04	04	03	04	04
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	12	12	15	14	04	04	04	04	04	04
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	01	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA लागू नहीं	लागू नहीं NA लागू नहीं	00 लागू नहीं	00 लागू नहीं
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	11	07	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	11	11	14	13	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	01	00	01	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	04	04	04	03	02	02	01	01	02	02
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	12	11	12	12	04	04	04	04	04	04

बैठक/Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst)	03	03	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	02	02	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	05	05	03	03	07	07	05	04	02	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	05	05	03	03	07	07	05	05	02	02
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	00	00	00	00	00	00	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	05	02	03	01	07	04	05	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	06	06	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	03	03	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	01	01
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	04	04	02	01	01	01
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	03	03	03	03	05	04	02	02

निदेशक का नाम Name of Director	बैठक/Meetings of the									
	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committiee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committiee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री अतुल कुमार गोयल प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पूर्व) Shri Atul Kumar Goel MD & CEO (erst)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	00	00	01	01
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01	NA	NA
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01	01
श्री आनंद मधुकर, निदेशक (पूर्व) Shri Anand Madhukar Director (erst)	NA	NA	NA	NA	00	00	NA	NA	NA	NA
डॉ. संजय कुमार, निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Director	01	01	01	01	03	02	NA	NA	NA	NA
डॉ. तुली रॉय, निदेशक (पूर्व) Dr. Tuli Roy, Director (erst)	NA	NA	NA	NA	03	03	NA	NA	NA	NA
श्री राजेश कुमार, निदेशक Shri Rajesh Kumar, Director	NA	NA	NA	NA	00	00	NA	NA	NA	NA
श्री अंजन तालुकदार, निदेशक Shri Anjan Talukdar, Director	01	01	01	01	01	01	01	01	NA	NA
श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Director	01	01	01	01	01	01	01	01	NA	NA
श्री के. राजीवन नायर, निदेशक Shri K. Rajivan Nair, Director	01	01	01	01	03	03	01	01	01	01

नोट/Notes:

1. *निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
2. लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member

5.0 आम बैठक / General Body Meeting

5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के ब्योरे इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
16वीं वार्षिक आम बैठक 16th Annual General Meeting	26 जून, 2019 26th June, 2019	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	6 नवंबर, 2019 6th November, 2019	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14th February, 2020	सुबह 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027 Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
17वीं वार्षिक आम बैठक 17th Annual General Meeting	7 अगस्त, 2020 7th August, 2020	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	7 मई, 2021 7th May, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
18वीं वार्षिक आम बैठक 18th Annual General Meeting	20 जूलाइ, 2021 20th July, 2021	सुबह 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कोंफेरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता-700001 प्रस्तावित स्थल Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 19.10.2020 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में बैंक को निदेशक चुनाव हेतु दो उम्मीदवारों से वैध नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन चुनाव होने से पूर्व वापस ले लिया। इस प्रकार चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन श्री के. राजीवन नायर से था। अतः निदेशक चुनाव नहीं हुआ और यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियमन 66(1) के तहत श्री के राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना हुआ माना गया। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। आरबीआई की अधिसूचना दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा ठीक एवं उचित स्थिति का निर्धारण करने के बाद श्री के राजीवन नायर को 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चुना गया है।

5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 20 जुलाई, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री ए. के. गोयल, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक, श्री इशरक अली खान, कार्यपालक निदेशक तथा श्रीमती तुली रॉय, निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।

5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

i) 06 नवंबर, 2019 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2130 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.89 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 126,11,01,243 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

ii) 14 फरवरी, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2142 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.54 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 129,50,42,321 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

ii) 7 अगस्त, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iv) 7 मई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 12.76 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 203,76,17,554 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 19.10.2020 for election of one shareholder director from amongst the shareholders of the Bank other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received valid nominations from two candidates for contesting of election of Director. However, one of the candidates who filed nomination withdrew his nomination before contesting election. As there is only one valid nomination from Shri K Rajivan Nair available for contest, no election of director was held and he is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 26th November, 2020 stood cancelled since there was no other agenda to be transacted at the meeting. Shri K Rajivan Nair is elected as Director w.e.f 01.02.2021 for a period of three years after determination of Fit and Proper status by Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI notification dated 02.08.2019.

5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 20th July, 2021 through Video Conference (VC). Shri A.K. Goel, Former Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ajay Vyas, Executive Director, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Smt. (Dr.) Tuli Roy, Director and Chairman of Audit Committee of the Board, attended the meeting.

5.3. Special Resolutions passed during last three years:

i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 6th November, 2019 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 126,11,01,243 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.89 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2130 crore.

ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.

iii) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 7th August, 2020, a special resolution passed for issue of 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

iv) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2021, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 203,76,17,554 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.12.76 per share determined in accordance with164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2600 crore.

v) 20 जुलाई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/ या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्प के माध्यम से प्रत्येक रु. 10/- के 300,00,00,000 तक की इक्विटि शेयर को जारी करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया।

6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य रुचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2021, 30.09.2021 एवं 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के मुद्दे के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
(इकाई: यूको बैंक)
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32
गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500032
फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001
फ़ैक्स : 040 23420814
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 20th July, 2021, a special resolution passed for issue of upto 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/ half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com).Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2021, 30.09.2021 and 31.12.2021 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders.

7.0. General Shareholders Information:

7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Limited, Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

M/s. KFin Technologies Limited
(Unit : UCO Bank)
Selenium Tower B, Plot No. 31&32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500032
Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001
Fax: 040 23420814
e-mail: einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा के साथ कक्ष स्थापना की है। निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी- hosgr.calcutta@ucobank.co.in बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,तीसरा तल,
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227
ई-मेल: hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक यूको बैंक है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक समयानुसार पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर रहा है।

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established full-fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances whether received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- **hosgr.calcutta@ucobank.co.in** has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place, 3rd Floor,
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227
E-mail : hosgr.calcutta@ucobank.co.in

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCOBANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.

7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:

7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2021-22)

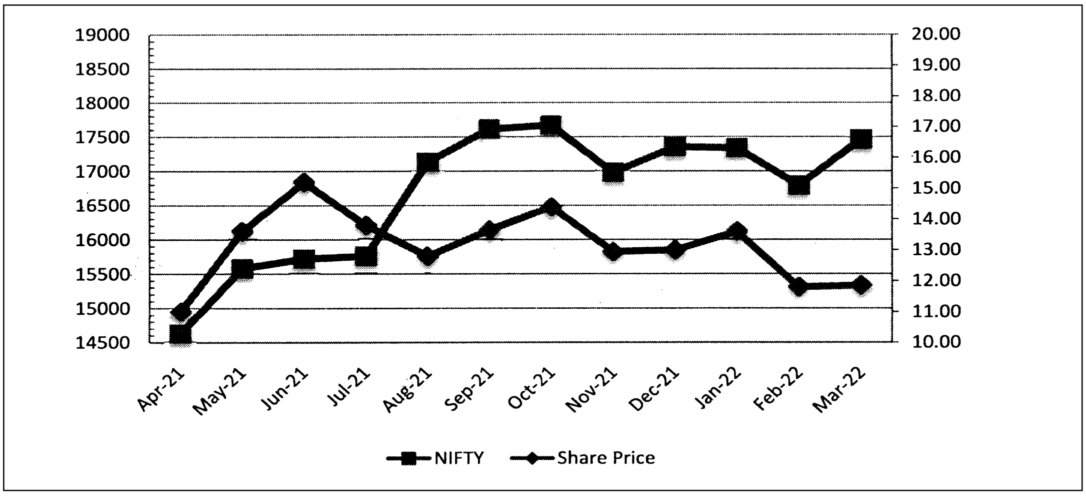

बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2021-22)

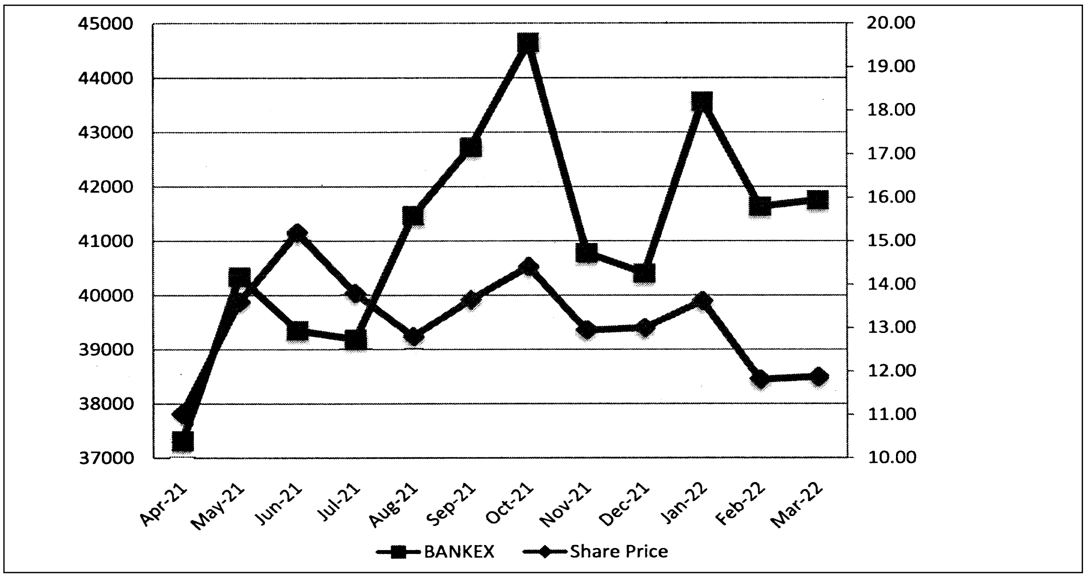

*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान द नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टाक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2021-22 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टाक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टाक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-21	11.95	10.90	11.00	160.78	11.94	10.90	11.02	23.48
मई/May-21	13.60	11.20	13.60	356.08	13.60	11.17	13.60	40.48
जून/Jun-21	15.30	13.20	15.20	636.23	15.26	13.19	15.19	78.57
जुलाई/Jul-21	15.15	13.50	13.80	204.06	15.15	13.55	13.80	27.09
अगस्त/Aug-21	13.90	12.55	12.80	103.66	13.94	12.59	12.80	13.82
सितंबर/Sep-21	14.35	12.80	13.65	231.04	14.38	12.79	13.65	36.24
अक्तूबर/Oct-21	14.80	13.50	14.40	329.04	14.75	13.53	14.41	42.90
नवंबर/Nov-21	14.65	12.90	12.95	112.69	14.66	12.90	12.94	18.66
दिसंबर/Dec-21	13.75	12.60	13.00	80.78	13.75	12.61	13.00	15.86
जनवरी/Jan-22	13.60	12.65	13.60	96.48	13.62	12.67	13.62	24.35
फरवरी/Feb-22	13.80	11.30	11.80	117.02	13.82	11.30	11.81	24.09
मार्च/Mar-22	12.00	11.25	11.85	73.74	11.98	11.26	11.87	20.63

* Monthly high & low price are based on daily closing prices of shares

7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार है:

i) झंझट रहित अंतरण; ii)शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं; iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा; iv) नामांकन सुविधा; v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अर्मूतीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए 01018 है।

वर्ष 2021-22 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपोजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2022 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer ; ii) No threat of loss of share certificate; iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits; iv) Nomination facility; v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support GOI's green initiatives.

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2021-22 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March,2022, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,03,27,745	0.09
एनएसडीएल/NSDL	35,79,92,827	2.99
सीडीएसएल/CDSL	11,58,76,37,604	96.92
योग/Total	11,95,59,58,176	100.00

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है। डी पी सेवा निम्नलिखित चुनिंदा शाखाओं, यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता, आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली, के.जी. रोड शाखा, बेंगलुरु, चेन्नै (मुख्य) शाखा, तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें। बैंक ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को उनकी अभिरक्षा सेवाओं के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान किया है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिंस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

7.4 शेयरधारिता का वितरण

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

7.4 DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

7.4.1 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2022

शेयरधारकों की श्रेणी **Category of Shareholders**	**धारकों की सं.** **No. of holders**	**धारित शेयरों की संख्या** **No. of shares held**	**इक्विटी का %** **% of equity**
अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता			
A. Promoters' shareholding			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	95.39
आ. संस्थाएं			
B.Institutions			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	12	1921462	0.02
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	8	132005	0.00
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	4	148584028	1.24
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	4	5694180	0.05
इ/C. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	421244	270212357	2.26
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	2111	100617255	0.84
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI	2	2400	0.00
ई/D. अन्य/Others			
न्यास / Trust	17	169973	0.00
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	986	5531665	0.05
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	104	4105573	0.03
अनिवासी भारतीय गैर-प्रत्यावर्तनीय Non Resident Indian non repatriable	760	2540253	0.02
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	991	11536501	0.1
योग/ TOTAL	426244	11955958176	100.00

7.4.2 31.03.2022 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2022

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹) से/From	तक/To	शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
1	5000	412393	96.75	151824972	1.27
5001	10000	6346	1.49	48365012	0.40
10001	20000	5212	1.22	75090089	0.63
20001	30000	1101	0.26	27313537	0.23
30001	40000	398	0.09	13996136	0.12
40001	50000	249	0.06	11603758	0.10
50001	100000	370	0.09	26718408	0.22
100001	और अधिक/And above	175	0.04	11601046264	97.03
	कुल/TOTAL	**426244**	**100.00**	**11955958176**	**100.00**

7.4.3 दिनांक 31.03.2022 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक

7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2022

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	भारत के राष्ट्रपति /President of India	11404910524	95.39
2	लाइफ इंयोरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Life Insurance Corporation of India	148033228	1.24
3	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	3497490	0.03
4	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	1948377	0.02
5	फजलुर रहमान इनामदार / Fazalur Rahman Inamdar	1618412	0.01
6	पद्मा लता / Padma Latha	1200000	0.01
7	विजय शंकर दवे / Vijay Shankar Davey	1185000	0.01
8	सुआशिष डायमंड लिमिटेड / Suashish Diamonds Ltd	1160000	0.01
9	सनजॉय डे / Sanjoy Dey	1100000	0.01
10	एसपीडीआर एस&पी इमरजिंग मार्केट स्माल केप(ईटीएफ) SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	946305	0.01

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश परंपरा

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2009-10	1.50
2004-05	1.00	2010-11	3.00
2005-06	-	2011-12	3.00
2006-07	1.00	2012-13	1.60
2007-08	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2008-09	1.00	2014-15	2.00
		2015-16 to 2021-22	शून्य/NIL

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 (अंतिरम एवं फाइनल) का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

7.6.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमेटेरलाएज़ करे।

दिनांक 31.03.2022 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार हैः

7.6.1. Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13 and 2013-14(interim& final) to IEPF.

7.6.2. : Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2022 :

क्र.सं. Sl No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2021	204	28100
ii.	वर्ष 2021-22 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2021-22	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2022	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2022 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार हैः

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

7.7 BONDS

7.7.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2022 are as follows:

क्र.सं. SN.	निर्गम विवरण Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1.	9% बॉण्ड शृंखला XII 9% Bond Series XII	INE691A09185	1000	28.12.2012	28.12.2022	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2.	9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3.	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
4.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	22.03.2027
5.	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला V) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series V)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	31.03.2027

7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टीः

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड मुद्दों, बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया हैः

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन भवन, भू-तल,
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट
मुंबई - 400 001. फोनः (002) 40807000;
ई-मेलः itsl@idbitrustee.com

सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, किला,
मुंबई 400001.दूरभाषः (022) 2261 6217
ई-मेलः aarti.sharma@cfsl.in

7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and M/s Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.
Asian Building, Ground Floor,
17, R Kamani Marg, Ballard Estate
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;
Email: itsl@idbitrustee.com

Centbank Financial Services Ltd.
Central Bank of India-MMO Bldg,
3rd Floor (East Wing),
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001.
Tel: (022) 2261 6217
E-mail: aarti.sharma@cfsl.in

7.7.3 क्रेडिट रेटिंग/Credit Rating

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9% बॉण्ड श्रृंखला XII 9% Bond Series XII	9.664% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.644% Basel III Tier II Bonds Series II	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड 9.71% Basel III Tier II Bonds Series III	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड 8.51% Basel III Tier II Bonds Series V
ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Brickwork Ratings India Pvt. Ltd.	ए+(सकारात्मक) A+(Positive)	ए+(स्थिर) A+(Stable)	---	---	
क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Ltd.	ए+(सकारात्मक) A+(Positive)	---	---	---	
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	---	AA - (स्थर/Stable)	AA - (स्थर/Stable)	AA - (स्थर/Stable)	AA - (स्थर/Stable)
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	---	AA - (सकारात्मक/ Positive)	AA - (सकारात्मक/Positive)		
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	---	एए - (स्थिर) AA - (Stable)

8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970.SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2021-22.Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director& CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मदें / Items	राशि (लाख ₹ में)/ Amount (₹ in lakhs)
श्री ए के गोयल भूतपूर्व एमडी एवं सीईओ Shri A. K. Goel Former MD & CEO	01.04.2021 से/to 31.12.2021	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 26.77 32.02 0.00 1.36 0.00
श्री सोमा शंकर प्रसाद Shri Soma Sankara Prasad	01.01.2022 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 8.09 4.18 0.00 0.00 0.00
श्री अजय व्यास ईडी Shri Ajay Vyas ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 28.85 9.58 0.00 0.12 0.00
श्री इशराक अली खान ईडी Shri Ishraq Ali Khan ED	01.04.2021 से/to 31.03.2022	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	 27.99 0.57 0.00 0.06 0.00

8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। आंकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यकारी निदेाक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx)

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting	:	₹40,000/- per sitting
For Committee Meeting	:	₹20,000/- per sitting and ₹5000/- per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website(https://www.ucobank.com/english/SEBI-DISCLOSURE.aspx)

The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with

अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः

Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2021-22 are as under :

क्र. सं. Sl No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (रु.) Amount (Rs)
1.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	13,65,000/-
2.	श्री अंजन तालुकदार/ / Shri Anjan Talukdar	5,20,000/-
3.	श्री रवि कुमार अग्रवल/ Shri Ravi Kumar	5,00,000/-

8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

8.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

8.4. 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/ नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

8.5 बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2022 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx. पर दी गई है।

8.6 बैंक जिंस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिंस मूल्य जोखिम और जिंस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

8.7 दिनांक 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नही है।

8.8 बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत व्हिसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx/ पर उपलब्ध है।

8.9 किसी भी कर्मी को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

8.10 बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी

8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

8.3.During the Financial year 2021-22, Bank has not raised funds through Preferential Allotment or Qualified Institutional Placement.

8.4.There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2022.

8.5. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2022. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx.

8.6 The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

8.7 Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2022

8.8 Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx

8.9 No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

8.10 The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have

सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

8.11 गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx

8.11 Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx

8.12 बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्दे बैंक की वेबसाइट https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx. पर उपलब्ध है।

8.12 Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at https://www.ucobank.com/English/SEBI-DISCLOSURE.aspx

8.13 सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

8.13 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors 'fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2021
	37.59 करोड़/crore	46.74 करोड़/crore

8.14 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरणः

8.14 Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	1
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	1
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	0

9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार हैः

9.0 COMPLIANCE TO DISCRETIONARY REQUIREMENTS

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	**निदेशक मंडल / The Board** एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को नामित नहीं किया है। वर्तमान में एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। Government of India has not nominated non-executive chairperson on the Board of the Bank. MD & CEO is currently acting as a chairperson .
2.	**शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights** पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by uploading the financial results on the Bank's website.
3.	**लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications** कंपनी अनधिकृत वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकती है। Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4.	**आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time.

10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2021-22 का अभिन्न अंग है।

10.0. Auditors Report on Corporate Governance

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2021-22 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2021-22.

11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2021-22 का अभिन्न अंग है।

12.0. बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक
ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

11.0. CEO & CFO Certificate

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2021-22.

12.0 Affirmation Of Compliance With The Bank's Code Of Conduct

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2021-22.

For UCO Bank

sd/-

(Soma Sankara Prasad)
Managing Director &
Chief Executive Officer